6323

पत्र सं0–7/अनु0–10–10/2015गृ0आ0 6387 /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

Email

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक– 17 अगस्त, 2016

विषय : **नागालैण्ड अथवा पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति की O.D. पंजी में प्रविष्टि के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः नागालैण्ड या पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि O.D. पंजी में किये जाने हेतु जिला स्तर से मार्गदर्शन की मांग की जाती है, जिसमें व्यक्ति विशेष के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन न तो संबंधित राज्य के अनुज्ञप्ति निर्गमन प्राधिकार से कराये जाने का उल्लेख रहता है और न ही उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति प्राप्त होने की सूचना अंकित रहती है। फलतः इसपर उचित निर्णय लिये जाने में कठिनाई हो रही है।

2. उल्लेखनीय है कि शस्त्र अनुज्ञप्तियों के निर्गमन के संबंध में भारत सरकार के दिशा–निर्देश पत्रांक–V-11016/16/2009 आर्म्स दिनांक 06.04.2010 में प्रावधानित है कि विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञप्तियों का सम्पूर्ण भारत के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति विस्तार किये जाने के लिए भारत सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है। चूँकि जिला दण्डाधिकारी, वैशाली द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि नागालैण्ड राज्य द्वारा निर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों का सीमा क्षेत्र Identical रूप से सम्पूर्ण भारतवर्ष ही रहता है, ऐसी स्थिति में यह आश्वस्त हो लिया जाना आवश्यक है कि संबंधित अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व उसके संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्वानुमति ली गई है अथवा नहीं।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तियों की प्रविष्टि O.D. पंजी में किये जाने से पूर्व संबंधित जिला

दण्डाधिकारी सर्वप्रथम संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले पूर्वोत्तर राज्य के अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकार से पत्राचार कर यह सुनिश्चित करें कि अखिल भारतीय अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व उसके संबंध में गृह मंत्रालय की सहमति प्राप्त की गई है अथवा नहीं। जिला दंडाधिकारी संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकार से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सहमति से संबंधित पत्र प्राप्त कर इस विभाग को उपलब्ध करायेंगे। विभाग द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से उसका सत्यापन कराने के पश्चात् ही जिला दण्डाधिकारी को O.D. पंजी में उसकी प्रविष्टि की अनुमति दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

16.8.16

(गिरीश मोहन ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव